

क्रमांक / ५४३/SS/SR./2025

इन्दौर दि १६/१/२५

// नोटिस //

म.प्र. शासन चिकित्सा शिक्षा मंत्रालय भोपाल के पत्र पृ.क/एफ २-४२/०७/१/५५/ भोपाल दिनांक १७.१२.२०२१ एवं म.प्र. शासन चिकित्सा शिक्षा मंत्रालय भोपाल के पत्र पृ.क/एफ २-१५/२०२२/१/५५ भोपाल दिनांक ०४.०३.२०२२ एवं पृ.क/एफ २४२/२००७/१/५५ पार्ट भोपाल दिनांक १२.०१.२०२४ के द्वारा शासकीय ख्वशासी महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, इन्दौर में सीनियर रेसीडेन्ट (SR) के निम्नांकित रिक्त पदों पर सीमित पदावधि (Tenure) से पदों की पूर्ति हेतु निर्धारित प्रारूप में वॉक-इन-इंटरव्यू हेतु आवेदन आमंत्रित (समस्त रिक्त पदों की पूर्ति होने तक) किए जाते हैं:-

सीनियर रेसीडेन्ट (निश्चित वेतन रु. 84924/- प्रतिमाह)

DEPARTMENT	TOTAL POST	UR	ST	SC	OBC	EWS
OBST & GYNAE	06	1	1	2	1	1
RADIO-DIAGNOSIS	07	1	2	1	2	1
PAEDIATRICS	03	1	-	1	1	-
NEURO-SURGERY	02	-	-	1	-	1
MICROBIOLOGY	01	-	-	1	-	-
ENT	02	-	-	-	2	-
PSYCHIATRY	01	1	-	-	-	-
MEDICINE	01	1	-	-	-	-
RESPIRATORY MEDICINE (TB & CHEST)	01	1	-	-	-	-
OPHTHALMOLOGY	01	-	-	-	1	-
ORTHOPAEDICS	03	1	1	1	-	-
PAEDIATRICS SURGERY	01	1	-	-	-	-
EMERGENCY MEDICINE	02	-	1	-	-	1
GENERAL SURGERY	05	2	-	1	1	1
TOTAL	36	10	5	8	8	5

नोट:- इच्छुक आभ्यार्थी आवेदन पत्र महाविद्यालय की वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं तथा पूर्ण रूप से भरे आवेदन पत्र के साथ मूल दस्तावेजों की अभिप्रामाणित छायाप्रति, 01 फोटो एवं निर्धारित शुल्क जमा कर उसकी रसीद की कॉपी संलग्न करें। आवेदक स्कूटनी हेतु **दिनांक 15-01-2025** को प्रातः 11:00 बजे से 01:00 बजे तक महाविद्यालय के ऑडिटोरियम में पूर्ण रूप से भरे आवेदन पत्र एवं मूल दस्तावेजों के साथ उपरिथित रहे एवं स्कूटनी पश्चात साक्षात्कार **दिनांक 16.01.2025** समय सुबह 11:00 बजे।

साक्षात्कार हेतु आवेदक आवश्यक अभिलेखों/प्रमाण पत्रों की मूल प्रति तथा अभिप्रामाणित छायाप्रतियों के साथ उपरिथित होना अनिवार्य होगा। इस हेतु पृथक से कोई सूचना नहीं दी जावेगी।

मध्यप्रदेश शासन के नवीनतम आदेश क्रमांक के प्रावधान अनुसार सभी स्नातकोत्तर छात्र जिनका वयन सीनियर रेसीडेन्ट के पद पर होगा उन्हें ग्रामीण सेवा के बांड से इस शर्त के साथ मुक्त किया जाएगा कि वे बांड अवधि के बाबार अवधि तक महाविद्यालय में इस पद पर सेवाएँ देंगे। उक्त अवधि के पूर्व सेवा छोड़ने की स्थिति से ग्रामीण/अधिसूचित क्षेत्रों में सेवा हेतु किये गये बाण्ड की शर्तें लागू हो जाएंगी और उन्हें निर्धारित अवधि तक ग्रामीण सेवा करनी होगी।

वॉक-इन-इंटरव्यू हेतु नियम एवं शर्तें।

1. आरक्षण शासन द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार।
2. पदों की रिक्तियों की संख्या में कमी या वृद्धि हो सकती है। रिक्तियों की कैटेगिरी में परिवर्तन किया जा सकता है।
3. उक्त रिक्त पदों में महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत पद प्रत्येक श्रेणी में आरक्षित है तथा 3 प्रतिशत पद विकलांग हेतु आरक्षित है।
4. सीनियर रेसीडेन्ट हेतु अगर आरक्षित वर्ग के चिकित्सक नहीं मिलते हैं तो उस रिक्ति में सीटे अनुरूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनारक्षित श्रेणी के क्रम से उपलब्ध कर चिकित्सकों से भरी जावेगी।
5. आवेदन पत्र प्रस्तुत करने से अभ्यार्थी साक्षात्कार का पात्र नहीं हो जाता।
6. अवधि सीनियर रेसीडेन्ट्स की सेवा-अवधि (Tenure) एक वर्ष की होगी। इनकी प्रथम 01 वर्ष हेतु नियुक्ति की जावेगी। तत्पश्चात् संवाद्ये स्तोषजनक पाये जाने एवं आशक्ता अनुसार 01-01 वर्ष हेतु रामय बढ़ाते हुए अधिकतम 3 वर्ष तक बढ़ाइ जाएगी।

7. नियुक्ति का तरीका : योग्य अभ्यार्थियों का वयन एम बी बी एस / एम डी / एम एस / डॉएनबी सभी प्रोफेशनल समिति की अनुशासा पर नियुक्तिकर्ता अधिकारी द्वारा की जावेगा। नियुक्ति वयन आवेदन शुल्क : सीनियर रेसीडेंट्स/ जूनियर रेसीडेंट के पद हेतु अभ्यार्थियों को अपने आवेदन के साथ रु 600/- (छ. सौ) एवं आरक्षित वर्ग के अभ्यार्थियों को रु 300/- (तीन सौ)। राशि का भुगतान R.T.G.S. (DEAN MGM MEDICAL COLLEGE, INDORE BANK ACCOUNT NO - 53003590071 IFSC CODE NO SBIN0030359) के माध्यम से करते हुए भुगतान की रसीद आवेदन के साथ सलग करे। किसी भी अवरण्णा में राशि लौटायी नहीं जावेगी ।

8. शैक्षणिक योग्यता:- 1. For EMERGENCY MEDICINE – MD/DNB - Anaesthesiology ,General Medicine,Genaral Surgery, Respiratory Medicine ,Emergency.

9. • अन्य संबंधित विषय में एम.सी.आई द्वारा मान्यता प्राप्त एम.डी./एम.एस./डी.एन.बी परीक्षा उत्तीर्ण ।

• सीनियर रेसीडेंट पद पर नियुक्त किसी चिकित्सक को निजी प्रेविट्स की पात्रता नहीं होगी। जिन चिकित्सकों ने नोटिसा निकलने के दिनोंक से पिछले पाँच वर्ष के अन्दर एम.डी./एम.एस. परीक्षा उत्तीर्ण की है, वे ही इस पद के लिये पात्र होंगे। जिन चिकित्सकों ने इसी चिकित्सा महाविद्यालय से एम.डी./एम.एस./परीक्षा उत्तीर्ण की है, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। उसके बाद मध्यप्रदेश के किसी भी विकित्सा महाविद्यालय से उत्तीर्ण चिकित्सकों को प्राथमिकता दी जाएगी। संस्था द्वारा कदाचार के कारण पूर्व में सेवा समाप्त उमीदवार को आवेदन करने की पात्रता नहीं होगी।

संवधित विषय में एम सी आई द्वारा मान्यता प्राप्त एम.डी./एम.एस./ डीएनबी । सीनियर रेसीडेंट पद पर नियुक्त किसी चिकित्सक को निजी प्रेक्टिस की पात्रता नहीं होगी । जिन चिकित्सकों ने नोटिस निकलने के दिनांक से पिछले पाँच वर्ष के अन्दर एम.डी./एम.एस./ डीएनबी परीक्षा उत्तीर्ण की है, वे ही इस पद के लिये पात्र होंगे । जिन चिकित्सकों ने इसी चिकित्सा महाविद्यालय से एम.डी./एम.एस./परीक्षा उत्तीर्ण की है, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी । उसके बाद मध्यप्रदेश के किसी भी चिकित्सा महाविद्यालय से उत्तीर्ण चिकित्सकों को प्राथमिकता दी जाएगी । संरथा द्वारा कदाचार के कारण पूर्व में सेवा समाप्त उम्मीदवार को आवेदन करने की पात्रता नहीं होगी ।

- योत्रा भत्ता :— साक्षात्कार के लिये किसी भी अभ्यार्थी को योत्रा भत्ता नहीं दिया जावेगा।
आयु सीमा—साक्षात्कार के लिये किसी भी अभ्यार्थी की अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिये।

अन्य शर्ते :

- 1 इन चिकित्सकों का प्रत्येक 01 वर्ष में 12 दिवस के आकस्मिक अवकाश की पात्रता होगी तथा सप्ताह में एक दिन अवकाश की पात्रता होगी यह अवकाश संचयित नहीं किया जा सकेगा, पर इन रेसीडेन्ट्स से संबंधित, सभी बातों पर अधिष्ठाता का निर्णय अंतिम होगा।

2 आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को तत्संबंध का प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में सक्षम अधिकारी म.प्र शासन द्वारा प्रदत्त की सत्यापित छायाप्रति सलग्न करना अनिवार्य है।

3 म.प्र के मूल निवासी को ही आरक्षण का लाभ दिया जावेगा।

4 उम्मीदवार को शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्रों की सत्यापित छायाप्रति सलग्न करना अनिवार्य होगी।

5 सेवा की अन्य शर्तें नियुक्ति पत्र में दर्शाये अनुसार बधनकारी होगी।

6 आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के साथ ही जिस संस्था में कार्यरत है उस संस्था का अनापत्ति / त्यागपत्र स्थीकृति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

7 उम्मीदवार को म.प्र. राज्य मेडिकल कौसिल अथवा मेडिकल कौसिल ऑफ इंडिया से पंजीयन कराना अनिवार्य होगा।

8 सीनियर रेसीडेन्ट के 4 पद पर चयनित उम्मीदवार को आवश्यकतानुसार अन्य स्थान / सी.एम.ओ डिप्लोमा परकार्य करने हेतु आदेशित किया जा सकता है।

9 यदि किसी अध्यर्थी के दस्तावेज असत्य पाए जाते हैं अथवा यदि कोई चयनित उम्मीदवार बिना सूचना के अनुपरिथित पाया जाता है तो उसे सेवा से पृथक करने का अधिकार अधिष्ठाता के पास रहेगा।

साक्षात्कार के समय उपरोक्त समस्त प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियाँ प्रस्तुत करनी होगी।

अधिष्ठाता एवं सुरक्ष्य कार्यपालन अधिकारी
म.गॉ.स्मृ.चिकित्सा महाविद्यालय एवं संबद्ध चिकित्सालय
स्वशासी संस्था, इन्दौर

क्रमांक / / SS/SR. / 2025

प्रतिलिपि:-

- 1 आयुक्ता, चिकित्सा शिक्षा, म.प्र. भोपाल।
 - 2 विभागाध्यक्ष, Obst & Gynae / Radiodiagnosis / Neuro-Surgery / Microbiology / Paediatrics / E.N.T. Medicine / Psychiatry / Ophthalmology / Paediatrics surgery / Respiratory Medicine (Tb & Chest) / orthopaedics / Emergency medicine Surgery
 - 3 को सूचनार्थ तथा अपने विभागीय नोटिस बोर्ड पर तत्काल चर्चा करने हेतु।
 - 4 समर्पित नोटिस बोर्ड चिकित्सा महाविद्यालय / म.य.चिकित्सालय / छात्रावास / लायब्रेरी।

अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.गौ.स्मृ.चिकित्सा महाविद्यालय एवं संबद्ध चिकित्सालय
स्वशासी संस्था इन्डौर